हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

21वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 06.10.1995

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवा में,

1- श्री वेद प्रकाश, विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ (प्रमुख सचिव आवास के नामित सदस्य)
2- संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ (प्रमुख सचिव, वित्त के नामित सदस्य)
3- सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7 बन्दरिया बाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
6- जिलाधिकारी, देहरादून ।
7- प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद हरिद्वार ।
8- प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश ।
9- प्रभारी अधिकारी, नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती, ऋषिकेश ।
10- अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 32वाँ वृत्त सहारनपुर (प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 लखनऊ के नामित सदस्य)
11- अधीक्षण अभियन्ता, प्रकल्प मण्डल, जल निगम रुड़की (प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के नामित सदस्य)

दिनांक- 22-9-1995

संख्या- 1935/प्रशा-2(नं)-1-6/95

विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आगामी बैठक दिनांक 6-10-95 के एजेण्डा प्रेषण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 21वीं बैठक दिनांक 6-10-95 को प्रातः 11-00 बजे आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष मेरठ में सम्पन्न होगी । बैठक का एजेण्डा आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है । आपसे अनुरोध है कि सूचना ठीक समय पर बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय
(योगेन्द्र कुमार बहल)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवामें,

1- श्री वेद प्रकाश, विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ (प्रमुख सचिव, आवास के नामित सदस्य)
2- संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ (प्रमुख सचिव, वित्त के नामित सदस्य)
3- सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, 7 बन्दरिया बाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी हरिद्वार।
6- जिलाधिकारी, देहरादून।
7- प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार।
8- प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश।
9- प्रभारी अधिकारी, नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती, ऋषिकेश।
10-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 32वॉ वृत्त सहारनपुर (प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 लखनऊ के नामित सदस्य)
11-अधीक्षण अभियन्ता, प्रकल्प मण्डल, जल निगम, रूडकी (प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के नामित सदस्य)

संख्या-2374 /प्रशा0-2 (ग)-1-6/95 दिनॉक 1-11- अक्टूबर, 1995

विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनॉक 6-10-95 की कार्यवाही का प्रेषण।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 21 वीं बैठक दिनॉक 6-10-95, को आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ के सभा कक्ष में पूर्वान्ह 11-00 बजे सम्पन्न हुई थी। बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(योगेन्द्र कुमार बहल)
सचिव

मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1–	विगत बैठक की कार्यवाही एंव लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन–	1
2–	प्राधिकरण का बजट वर्ष, 1994–95 वास्तविक एंव वर्ष 1995–96 का प्रस्तावित बजट सम्बन्धी–	2
3–	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना के सम्बन्ध में विचार–	3
4–	हरकी पैडी जनानाघाट सुलभ शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण की स्वीकृति विषयक–	4
5–	मानचित्र संख्या–148/95 पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार–	5
6–	देवपुरा नगरपालिका भूमि पर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर बनाने के सम्बन्ध में विचार–	6
7–	बिल्डिंग सैन्टर/आवासीय योजना हेतु ग्राम सभा की भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार–	7
8–	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–	
1–	विरक्त कुटिया सप्तसरोवर के अनधिकृत वाद संख्या–106/94 में लगाये गये शमन शुल्क के सम्बन्ध में।	8

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

(101)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनाँक 6-10-75 की उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री एच०एल० विरदी	अध्यक्ष, ह०वि०प्रा०	
2-	श्री सुधाकर सिंह	उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा०	
3-	एन. एन. थपलियाल	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ	
4-	एम. पी अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ	
5-	वी० के० वर्मा	उपप्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	
6-	एस० के० चन्द -	[illegible] आगरिक्ष वृत [illegible] हरिद्वार	
7-	वाई. पी. एस. मलिक	उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश, देहरादून देहरादून वन प्रभाग	
8-	ज्ञान सागर.	अधीक्षण अभि० पूर्वी गंगा नहर, रुड़की.	
9-	S.B. Daflardi	AP. Meerut.	
10-	P.M. Verma	S.E 32 Circle PWD Saharanpur	
11-	C.P. Goyal	D.FO Meerut	
12-			
13-			

मद संख्या-1

विषय- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन-

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनॉक 2-3-95 को सम्पन्न हुई थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी मा0 सदस्यों/प्रदाधिकारियों को प्रेषित की गयी। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। विगत बैठक में समाप्त किए गये मदों पर निर्णय के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है। कार्यवाही हेतु मदों में क्रियान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1-	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना तैयार करने संबंधी।	निर्णय हुआ था कि ऋषिकेश महायोजना पर विचार करने हेतु ऋषिकेश में बैठक की जाय, जिसमें देहरादून/टिहरी एंव पौडी जनपदों के वन विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी को बुलाया जाय।	निर्णय के अनुसार दिनॉक 21-3-95 को बैठक सम्पन्न हुई। विस्तृत विवरण मद संख्या-3 में अंकित है।
2-	हरिद्वार महायोजना की विसंगतियों के सम्बन्ध में।	महायोजना की विसंगतियों के परीक्षण हेतु एक समिति गठित की गयी जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार एंव उपाध्यक्ष ह0वि0प्रा0 एंव सहयुक्त नियोजक मेरठ संयुक्त रूप से कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेला से सम्बन्धित क्षेत्रों पर विचार करेगी।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
3-	अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उपविधि, 1994 के अनुमोदन के सम्बन्ध मेंविचार।	प्राप्त शमन उपविधि, 1994 का अध्ययन कर लिया जाय तथा आगामी बैठक में विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाय।	उ0प्र0 सरकार आवास अनुभाग-1 अधिसूचना सं0 1743/9आ-1-95-6 डीए/81 दिनॉक 26 मई, 1995 द्वारा शमन उपविधि, 1994 को निरस्त करते हुए आदर्श उपविधि, 1992 को यथावत लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। अतः प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार की 21 वीं बैठक दिनॉक 6-10-95 की कार्यवाही।

1- बैठक का स्थान- कार्यालय,आयुक्त,मेरठ मण्डल,मेरठ।

2- बैठक का समय- 11.00 बजे पूर्वान्ह।

उपस्थिति-

1-	श्री एच0एल0 विरदी,आयुक्त,मेरठ मण्डल,मेरठ-	अध्यक्ष
2-	श्री सुधाकरसिंह,उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार-	उपाध्यक्ष
3-	श्री एन0एन0 थपलियाल,संयुक्त निदेशक,कोषागार,मेरठ-(प्रमुख सचिव,वित्त के नामित सदस्य)	नामित सदस्य
4-	श्री एम0पी0 अनेजा,वरिष्ठ नियोजक(मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक लखनऊ)	सदस्य प्रतिनिधि
5-	श्री एन0बी0 वर्मा,अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषद,हरिद्वार(प्रभारी अधिकारी,न0पा0)	सदस्य प्रतिनिधि
6-	श्री ज्ञान सागर,अधीक्षण अभियन्ता,प्रकल्प मण्डल,जल निगम सडकी(प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जलनिगम लखनऊ)	सदस्य प्रतिनिधि नामित
7-	श्री पी0एम0 वर्मा,अधीक्षण अभियन्ता,32वॉ वृत्त,लो0नि0वि0,सहारनपुर(प्रमुख अभि0लो0नि0वि0लखनऊ)	सदस्य नामित प्रतिनिधि

विशेष आमन्त्रित-

1- श्री वी0के0 वर्मा,उपप्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर।

2- श्री वाई0पी0एस0मलिक,उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश,वन प्रभाग।

3- श्री एस0बी0 दफ्तरदार,सहयुक्त नियोजक,मेरठ

4- श्री सी0पी0 गोयल,डी0एफ0ओ0 मेरठ।

उपाध्यक्ष 6/10/95
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मद संख्या- 2

<u>विषय-</u> <u>प्राधिकरण का बजट, वर्ष, 1994-95 वास्तविक एंव वर्ष 95-96 का प्रस्तावित बजट अनुमोदन उपरान्त अवलोकनार्थ।</u>

प्राधिकरण के वास्तविक आय-व्यय के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 29-9-94 को वित्तीय वर्ष, 95-96 में एक अप्रैल, 1995 से 30-6-95 तक राजस्व व्यय 22.71 लाख एंव पूँजीगत व्यय 43.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस स्वीकृति के विरूद्ध प्राधिकरण की अधिष्ठान एंव योजनाओं के हित में राजस्व व्यय 18.37 लाख एंव पूँजीगत मदों में व्यय 105.69 लाख किए गये। जून, 1995 तक पूँजीगत मद में कुल व्यय स्वीकृति 43.00 लाख प्रदान की गयी थी, परन्तु प्राधिकरण हित में हडको से प्राप्त अवशेष ऋण का बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में 82.22 लाख का भुगतान हडको को किया गया। पूँजीगत अन्य मदों में 23.47 लाख का ही व्यय किया गया। ये सभी व्यय राशि प्रस्तावित बजट के व्यय प्राविधानों में समायोजित किए गये हैं।

वर्तमान में श्रावण मास (कावड़) मेला अवसर के कारण बोर्ड बैठक में सम्भावित विलम्ब को देखते हुए सरकुलेशन विधि के आधार पर 11 बोर्ड सदस्यों में से 8 सदस्यों से बजट सहमति प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रस्तावित कुल आय 429.25 लाख एंव प्रस्तावित कुल व्यय 366.53 लाख पर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मद संख्या- 1,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 21 वीं बैठक प्रारम्भ करते हुए सचिव/उपाध्यक्ष ने मा0 अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष ने बैठक के विचाराधीन/प्रस्तावित विषयों की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त रूपरेखा प्राधिकरण के समक्ष रखी। गत बैठक दिनांक 2-3-95 के निर्णयों/क्रियान्वयन की पुष्टि की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिए गये-

अ- हरिद्वार महायोजना की विसंगतियों के सम्बन्ध में विचार।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि गत बैठक के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। निर्णय लिया गया कि विस्तृत प्रस्ताव अ ागामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाय।

ब- अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उपविधि, 1994 के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार।

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया।

मद संख्या-2,

प्राधिकरण का बजट वर्ष, 1994-95 एंव वर्ष 95-96 का प्रस्तावित बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण के बजट वर्ष, 1995-96 में कुल आय रूपये 429.25 लाख, प्रस्तावित कुल व्यय 366.53 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। भविष्य के लि यह निर्देश दिए गये कि सरकुलेशन विधि से आंशिक बजट ही स्वीकृत कराया जाय तथा पूर्ण बजट प्राधिकरण के समक्ष ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या-3,

ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तावित प्रकरण पर विचार विमर्श हुआ। मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री एम0पी0 अनेजा, वरिष्ठ नियोजक द्वारा महायोजना की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत कराया। मुख्य समस्या वन विभाग की भूमि के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रकट की। बैठक में वनवि के उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श उपरान्त यह निर्देश दिए गये कि 16.10.95 विभाग के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश में बैठक करा ली जाय, तदोपरान्त महायोजना तैया के पश्चात बोर्ड बैठक के समक्ष रखा जाय।

उपाध्यक्ष
द्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
विकास प्राधिकरण

---2

मद संख्या- 3

विषय- ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना के सम्बन्ध में विचार-

ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना का प्रकरण गत बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग से सम्बन्धित अधिकारियो की बैठक कर नीति तय कर ली जाय। निर्णय के अनुसार मुख्य अरण्यपाल,गढवाल मण्डल,देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 21-3-95 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग वान्छित सूचनायें उपलब्ध करायेगें। सहयुक्त नियोजक मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 18-4-95 जो आयुक्त महोदय को सम्बोधित है,प्रेषित किया है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श को देखते हुए नीति निर्धारण की आवश्यकता है। बैठक में मुख्य अरण्यपाल गढवाल मण्डल को भी आमन्त्रित किया गया है,तथा इनसे सम्बन्धित अधिकारियों को भी बैठक में आमन्त्रित किया है।सहयुक्त नियोजक मेरठ द्वारा प्रस्तावित बिन्दुओं पर प्रकरण विचारार्थ निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- सामान्यत: वन विभाग की भूमि वन क्षेत्र के रूप में दिखायी जानी है। वन क्षेत्र में अन्य नगरीय उपयोग में लाने के लिए उच्चस्तरीय अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में जो वन क्षेत्र की भूमि एक विशिष्ठ अवधि के लिए नगरीय उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है,इसको महायोजना प्रस्ताव पर किस प्रकार दिखाया जाये।

2- ऋषिकेश में वन क्षेत्र की भूमि पर वर्तमान नगरीय क्रियाओं का अनाधिकृत निर्माण हुआ है,जिसके लिए भविष्य में क्या नीति अपनायी जानी है।

3- ऋषिकेश नगर भौगोलिक दृष्टि से चारों ओर से घिरा है एंव उसके भावी विकास के लिए उससे लगी हुई भूमि पर महायोजना के विभिन्न उपयोग प्रस्तावित किए गये हैं। प्रस्ताव करते समय यह भूमि वन क्षेत्र की है यह जानकारी नहीं थी। नगर की भौगोलिक परिस्थिति तथा नैसर्गिक विकास को देखते हुए इस खाली वन भूमि में भविष्य में नगरीय प्रस्ताव दिए जाने हैं अथवा नहीं इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

4- अगर नगर से लगे हुए इस खाली वन भूमि में कोई नगरीय प्रस्ताव नहीं करने है,तो इस खाली भूमि में हो रहे अनाधिकृत निर्माण से रोकने के लिए क्या नीति अपनायी जाये।

5- नगर की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए नगर से लगे हुए वन भूमि में यदि नगरीय प्रस्ताव नहीं करने हैं,तो नगर के भावी विकास के लिए नगर से 6-7 किमी दूर प्रस्ताव करने पडेगें,जिसके विकास के लिए क्या नीति अपनायी जाये।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

चूँकि महायोजना को अन्तिम रूप देने के लिए उपर्युक्त नीति निर्धारण की अत्यन्त आवश्यकता है।अत: प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या- 4
विषय- हरकी पैडी जनानाघाट सुलभ शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्धि में विचार-

हरकी पैडी जनानाघाट के पास श्रीमती ओंमकारी मिश्रा का एक मन्दिर था। वर्ष, 1986 के कुम्भ के अवसर पर 1985 में घाट विस्तार करते समय इस मन्दिर को तोडा गया, जिसके विरूद्ध श्रीमती ओंमकारी मिश्रा, ने न्यायालय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट हरिद्वार में वाद संख्या-127/85 दायर की। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट ने अपनी स्थल निरीक्षण आख्या दिनाँक 22-11-85 में मन्दिर की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या दी है, जिसमें 2 मी0 लम्बा, 2 मी0 चौडाई में तथा 20 फुट ऊँचाई में मन्दिर की मापें दी हैं। इस वाद में निम्नलिखित प्रतिवादीगण सम्मिलित हैं-

1- उ0प्र0 सरकार द्वारा जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2- अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी।
3- सहायक अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, हरिद्वार।
4- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हरिद्वार।

मा0 न्यायालय हरिद्वार ने दोनों पक्षों की सहमति पर दिनाँक-28-11-85 को यह निर्देश दिए हैं कि पुराने मन्दिर के क्षेत्रफल ऊँचाई व आकार का पुख्ता मन्दिर प्रतिवादीगण प्रस्तावित स्थल पर निर्माण करके पुराने मन्दिर के बदले में वादिनी को पुरानी शर्तों पर स्थानान्तरित कर देंगें। तथा यह कार्य कुम्भ के पर्व(स्नान) के प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया जायेगा।

प्रकरण पर जिला शासकीय अधिवक्ता की राय दिनाँक 28-6-95 प्राप्त की गयी है, जिसमें यह अवगत कराया गया है, कि उक्त आदेश आज तक प्रभावी हैं। दिनाँक 20-2-92 को उपर्युक्त निर्णय की पुनः पुष्टि न्यायालय ने की है परन्तु अभी तक उपर्युक्त आदेश का पालन नहीं किया जा सका है, इस कारण द्वितीय अति0 मुंसिफ हरिद्वार ने प्रतिवादीगण को न्यायालय की अवमानना करने के अपराध में दण्डित भी कर दिया है जिसके विरूद्ध अपील विचाराधीन है। विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष, 1985 में नहीं हुआ था अतः बोर्ड के निर्णय 11-1-93 के निर्णय का प्रभाव उपर्युक्त आदेश दिनाँक 28-11-85 के आदेश पर नहीं पडता है। कानूनी स्थिति यह है कि न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय के आदेश दिनाँक 28-11-85 के अनुपालन हेतु नगरपालिका के संलग्न मानचित्र को स्वीकृति दी जा सकती है। बोर्ड ऐसी विशेष परिस्थिति में अपने आदेश/निर्णय 29-9-94 जिसमें हरकी पैडी के चारो तरफ सडक के मध्य बिन्दु से 200 मीटर की परिधि तथा कुम्भ मेला भूमि कन्स्ट्रक्शन फ्री जोन होगा जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, में शिथिलता देते हुए पुनर्विचार कर सकने में सक्षम है। (पताका "क")

सचिव
[illegible]र विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित मन्दिर निर्माण के मानचित्र की [illegible] के सम्बन्ध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-4

हर की पैड़ी जनानाघाट सुलभ शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण की स्वीकृति के संबंध में विचार।

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुयी। प्रश्नगत स्थल हर की पैड़ी के समीप स्थित है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। प्राधिकरण की भवन उपविधियों में हर की पैड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। यह भवन उपविधियां अनुमोदन हेतु शासन स्तर पर लम्बित है। इस संबंध में एक वाद मा0 न्यायालय, हरिद्वार में भी विचाराधीन है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि मामला मार्ग-दर्शन हेतु पूर्ण विवरण सहित शासन को संदर्भित कर दिया जाय तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-5

मानचित्र संख्या-148/95 मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के खसरा नम्बर-257 ग्राम मनोहरपुल ज्वालापुर के पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार।

प्रकरण पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि श्री एम0पी0 अनेजा द्वारा यह कहा गया कि महायोजना की दृष्टि से भी इस प्रकरण का परीक्षण कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेशित किया गया कि आवेदक के संबंध में जिलाधिका हरिद्वार से भी जांच करा ली जाय। तद्नुसार सम्पूर्ण विवरण सहित मामला अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

मद संख्या-6

देवपुरा नगरपालिका भूमि पर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर बनाने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। निर्देश दिये गये कि डिमाण्ड एसेसमेन्ट भी किया जाय तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात महायोजना में भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। निर्माण/विकास कार्य विभिन्न चरणों में महायोजना के भू-उपयोग के अनुरूप ही किया जाय। प्रकरण एजेण्डा से सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मद संख्या- 5

विषय- मानचित्र संख्या-148/95 मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 के खसरा नम्बर-257 ग्राम मनोहरपुर ज्वालापुर के पैट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार-

मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है। उक्त स्थल पर पैट्रोल पम्प हेतु एक आशय पत्र श्री सुरेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री रतनसिंह के पक्ष में अनुसूचित जाति के श्रेणी के अन्तर्गत जारी किया गया है। यह स्थल दिल्ली हरिद्वार नीति पास रोड पर हरिद्वार से 14 किमी माइल स्टोन के निकट मुख्य मोटर मार्ग पर स्थित है। यह स्थल हरिद्वार महायोजना में कृषि हरित पट्टी के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के प्रखण्डीय विनियमों के अनुसार तथा भवन उपविधि के प्रस्तर-68 के अनुसार प्रज्जलनशील समान के भण्डार (पैट्रोल पम्प) के स्थानों की अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है।स्थल मुख्य मार्ग पर आबादी क्षेत्र से दूर स्थित है,तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन के द्वारा पैट्रोल पम्प स्वंय निर्मित किया जायेगा। इस निर्माण हेतु लो0नि0वि0हरिद्वार/अग्नि शमन अधिकारी,हरिद्वार तथा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गयी हैं।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराना है कि गत बैठक दिनॉक 2-3-95 में मद संख्या-6(5) मै0 हरिकृपा फिलिंग स्टेशन का मानचित्र संख्या-88/94 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। यह स्थल मुख्य हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर हरिद्वार से लगभग 7 किमी0 माइल स्टोन के निकट स्थित है। महायोजना में इस स्थल का भू-उपयोग पार्क एंव खुला स्थल प्रदर्शित है। सम्यक विचारोपरान्त यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से निरस्त कर दिया गया था जिसकी सूचना विधि पूर्वक आवेदक को दे दी गयी थी। पक्ष द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने पर धारा-27/28 की कार्यवाही की गयी। जिसके विरूद्ध पक्ष द्वारा मा0 उच्चन्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। स्थगन आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मद संख्या- 7

विषय: बिल्डिंग सेन्टर/आवासीय योजना हेतु ग्राम सभा की भूमि प्राप्त करने के संबंध में विचार।

शासन की नीति के अनुरूप हरिद्वार जनपद में बिल्डिंग सेन्टर की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये हुडको द्वारा यह शर्त अनिवार्य रूप से रखी गयी है कि बिल्डिंग सेन्टर हेतु भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी, हरिद्वार से अनुरोध करके ग्राम रानीपुर में एक हेक्टेयर भूमि बिल्डिंग सेन्टर निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह भूमि निःशुल्क प्राप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है। भूमि प्राप्त होने पर हुडको से मिले अनुदान द्वारा बिल्डिंग सेन्टर की स्थापना करायी जायेगी।

आवासीय प्रयोजन हेतु ग्राम ज्वालापुर में 12.332 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा की प्राप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गयी है तथा औपचारिकताओं जैसे भुगतान आदि पर निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा। यह भूमि आवासीय भूखण्डों के प्रयोगार्थ लायी जायेगी।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्रमांक	गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1-	रानीपुर	806 मि0	1.000 हैक्टेयर
2-	ज्वालापुर	649 मि0	2.356 हेक्टेयर
		746 मि0	8.500 हेक्टेयर
		765 मि0	0.800 हेक्टेयर
		764 मि0	0.676 हेक्टेयर
	क्रमांक 2 का योग		12.332 हेक्टेयर
	कुल भूमि क्षेत्रफल		13.332 हैक्टेयर

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरया,
हरिद्वार।

सेवामें,

1- श्री वेद प्रकाश, विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ(प्रमुख सचिव, आवास के नामित सदस्य)
2- संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ(प्रमुख सचिव, वित्त के नामित सदस्य)
3- सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, 7 बन्दरिया बाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6- जिलाधिकारी, देहरादून।
7- प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार।
8- प्रभारी अधिकारी0, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश।
9- प्रभारी अधिकारी, नोटिफाइड एरिया, मुनि की रेती, ऋषिकेश।
10-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 32वॉ वृत्त सहारनपुर(प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 लखनऊ के नामित सदस्य)
11-अधीक्षण अभियन्ता, प्रकल्प मण्डल, जल निगम, रूडकी(प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के नामित सदस्य)

संख्या- 246 प्रशा0-2(ग)-1-6/95 दिनॉक 15 नवम्बर, 1995

विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनॉक 6-10-95 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-8 में हुई त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनॉक 6-10-95 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-8 में निर्णय लिया गया था कि अवशेष धनराशि रूपये, 55,739/- को रूपये, 1100/-प्रति माह की किश्तों में वसूल कर ली जाय तथा ब्याज की धनराशि माफ कर दी जाय। त्रुटिवश रूपये, 55,739/- के स्थान पर रूपये, 34000/-अंकित हो गया है।

अत: बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र संख्या-2374/प्रशा0-2(ग)-1-6/95 दिनॉक 1-11-95 द्वारा प्रेषित की गयी है, में पृष्ठ संख्या-3 , मद संख्या-8 में रूपये, 34000/- के स्थान पर रूपये, 55,739/-संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार बहल)
सचिव

मद संख्या-7

बिल्डिंग सेन्टर/आवासीय योजना हेतु ग्रामसभा की भूमि प्राप्त करने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। निर्देश दिये गये कि ग्राम सभा में भूमि की उपलब्धता भी देख ली जाय। ग्राम ज्वालापुर में सिर्फ 10 हेक्टेयर भूमि ही प्राप्त की जाय। लगभग 2 हेक्टेयर भूमि ग्रामीणों के लिये छोड़ी जाय। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही महायोजना में भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। शासन की स्वीकृति के पश्चात महायोजना में भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण/विकास कार्य कराया जाय। सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-8

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-विरक्त कुटिया सप्तसरोवर के अनधिकृत वाद संख्या-106/94 में लगाये गये शमन शुल्क के संबंध में विचार।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ब्याज की धनराशि माफ कर दी जाय तथा कुल शमन धनराशि का देय अवशेष रुपये 34,000/- रुपये 1100/- प्रति माह की किश्तों में वसूल कर लिया जाय। यदि भविष्य में शासन से नयी शमन उपविधि प्राप्त होती है तो उसका लाभ विपक्षी को दियाा जायेगा। सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

(योगेन्द्र कुमार बहल) सचिव — 19/10/95

(सुधाकर सिंह) उपाध्यक्ष — 19/10/95

(एच0एल0 बिरदी) अध्यक्ष/आयुक्त

138

मद संख्या-8, अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

1- विरक्त कुटी सप्तसरोवर के अनधिकृत वाद संख्या-106/94 में लगाये गये शमन शुल्क के सम्बन्ध में विचार-

सप्त ऋषि रोड पर स्थित विरक्त कुटिया द्वारा बिना प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के चार कमरे एंव बरामदें का निर्माण प्रारम्भ किया गया। प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27/28 की कार्यवाही की गयी। विपक्षी द्वारा दिनाँक 15-9-94 को शमन किए जाने हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित अनधिकृत निर्माण पर शमन शुल्क रूपये, 65,739/-लगाते हुए विपक्षी को पत्र दिनाँक 10-10-94 द्वारा जमा हेतु सूचित किया गया। विपक्षी द्वारा शमन शुल्क जमा न करने पर पुनः पत्र संख्या-2438 दिनाँक 28-12-94 द्वारा 15 दिन का समय देते हुए सूचित किया गया। विपक्षी ने अपने पत्र दिनाँक 14-3-95 द्वारा यह अनुरोध किया कि मैं एक साथ धनराशि जमा नहीं कर सकता हूँ, रूपये, 10,000/-आज जमा कर रहा हूँ शेष राशि बाद में अपील आदि में जमा करूँगा। रूपये, 10,000/- जमा किए जाने की प्रार्थना की, जिसको स्वीकार करते हुए रूपये, 10,000/- कार्यालय कोष में जमा कराये गये। अवशेष राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-148। दि0 7-8-95 द्वारा सूचित किया गया यह भी सूचित किया गया कि यदि उक्त राशि 15% ब्याज सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा नहीं की जायेगी, तो भू-राजस्व के माध्यम से वसूल कर ली जायेगी। दिए गये समय के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रूपये, 55,739/-एंव देय ब्याज के जमा न करने पर उक्त राशि को दी गयी सूचना के अनुसार धारा 40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

स्वामी राम स्वरूप विरक्त कुटिया ने अपने पत्र दिनाँक 16-8-95 द्वारा आयुक्त महोदय को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है कि अवशेष धनराशि को माफ करने की कृपा करें। आयुक्त महोदय द्वारा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने एंव जुर्माना माफ करने हेतु आदेश दिए हैं। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

[15] नदी तटीय विकास से संबंधित बाउन्ड्री के सीमांकन संबंधी।

नदी तटीय विकास की उपविधियां लागू किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि हर की पैड़ी क्षेत्र पूर्णतया विकसित है एवं आस-पास पुराने भवन निर्मित हैं । प्राधिकरण द्वारा यह अनुमोदन प्रदान किया कि हर की पैड़ी की विशेष महत्ता एवं धार्मिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए। हर की पैड़ी एवं आस-पास 200 मीटर तक की दूरी तक किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी । हर की पैड़ी के अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे-किनारे नदी तटीय उपविधियां लागू करने के संबंध में अध्यक्ष, नगरपालिका, हरिद्वार ने अवगत कराया कि इन उपविधियां को लागू करने का क्षेत्र राजकृषि से दक्ष मंदिर तक रखा गया है एवं निर्मित क्षेत्रों में भी इन उपविधियां को लागू करने से कठिनाई होगी एवं एफ0ए0आर0 कम करने से भवन निर्माताओं के हितों की अवहेलना होगी। अतः इतने बड़े क्षेत्र में एफ0ए0आर0 कम करके उपविधियां लागू करना उचित नहीं होगा। इस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का सुझाव था कि एफ0ए0आर0 कम करने से भवन की ऊंचाई पर रोक लग सकेगी एवं बहुमंजिली इमारतें गंगा की ओर बनने की प्रवृत्ति नियंत्रित हो जायेगी। इसके लिए एफ0ए0आर0 0.6 ही उचित है एवं ग्राउन्ड कवरेज 30 प्रतिशत होना चाहिए एवं अधिकतम दो मंजिल भवन की एफ0ए0आर0 एवं मंजिलों से संबंधित यदि कोई विशेष मामला आता है तो उस पर प्राधिकरण की बैठक में विचार विमर्श होना चाहिए। इस प्रकार प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्णय दिया कि कोई बहुमंजिल अथवा अन्य कोई विशेष भवन मानचित्र का मामला इस क्षेत्र में से प्राप्त होता है तो उसे बोर्ड की बैठक में विचारविमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की भवन उपविधियां के संबंध में अतिरिक्त प्रस्ताव

अध्याय-६

विविध

७७. नदी तटीय भाग हेतु परिशिष्ट (अ)

७८. पर्वतीय भू-भाग हेतु परिशिष्ट (ब)

७९. किसी भी स्थल पर यदि प्रति १० वर्गमीटर क्षेत्रफल में ३ से अधिक वृक्ष हों तो ऐसे स्थल को खुले व पार्क स्थल के अनुरूप ही विकसित किया जाये, चाहे महायोजना में स्थल का कोई सक्रिय भू-उपयोग भी अंकित हो।

८०. विकास अनुज्ञा व भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण हेतु योजना तैयार करने हेतु तकनीकी व्यक्तियों की योग्यतायें आदि मैं परिशिष्ट (स) के अनुरूप रखी जायेगी।

परिशिष्ट (अ)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में नदी तटीय भाग में भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रतिबन्ध

१. यह प्रतिबन्ध समस्त नदी तटीय क्षेत्र जो प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत है में लागू माने जायें। नदी के दोनों तरफ १०० मीटर तक में आने वाला समस्त क्षेत्र 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया जाये।

२. हर की पैड़ी के चारों तरफ सड़क के मध्य बिन्दु से २०० मीटर की परिधि तथा कुंभ मेला भूमि कंसस्ट्रक्शन फ्री जोन होगा। इसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

'संरक्षित क्षेत्र' में गंगा नदी की ओर स्थित भवनों/भू-खण्डों पर नव निर्माण/पुर्न निर्माण हेतु-

अधिकतम

१. भू-आच्छादन ३० प्रतिशत
२. ऊंचाई ७ मीटर
३. मंजिलें २
४. एफ० ए० आर० ०.६

सहायक नगर नियोजक, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार — अधिशासी अभियन्ता, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार — नगर अधिकारी, ह०वि०प्रा० — संयुक्त सचिव, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार — सचिव, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार — उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार